राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 19(1)साप्र/2/2018 जयपुर, दिनांक : 30.09.2024

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में एफ–श्रेणी (स्वतंत्र) की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:–

क्र.स.	वरीयता संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	441	श्रीमती कमला वर्मा, प्रोग्रामर, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।	31.01.2041	एफ–443, गांधीनगर (एफ–456, गांधीनगर के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत)
2.	462	श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी, अनुभागाधिकारी, आयुर्वेद विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2045	एफ–53, गांधीनगर (एफ–436, गांधीनगर के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत)
3.	465	श्री अनिल कुमार मीना, अनुभागाधिकारी, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.08.2047	एफ–43, गांधीनगर (एफ–428, गांधीनगर के स्थान पर प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत)
4.	420	श्री महेन्द्र मीना प्रोग्रामर कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर।	30.06.2042	एफ–105, गांधीनगर
5.	457	श्री संजय कुमार मीना, अनुभागाधिकारी, कार्यालय मंत्री राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2049	एफ–175, गांधीनगर
6.	460	श्री सुनील कुमार पंवार, सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2037	एफ–57, गांधीनगर
7.	470	श्री सुभाष सिंह निजी सहायक कार्या0 राज्यमंत्री, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2049	एफ–427, गांधीनगर
8.	472	श्रीमती हिना बालोदिया सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (क–4/वाद) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	28.02.2041	एफ–713, गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Yogita Bishnoi
Designation : Assistant Secretary
Date: 2024.09.30 12:49:42 IST
Reason: Approved

9.	474	श्री राजेन्द्र कमेडिया सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक (क–4/वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.05.2046	एफ–436, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
10.	475	श्रीमती अंजूलता जोरवाड सहायक लेखाधिकारी प्रथम आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।	30.06.2047	एफ–428, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
11.	476	श्री हरफूल लाल सेपट निजी सहायक मान. राज्यमंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2048	एफ–454, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
12.	477	श्री मिनसिव मीणा अति. प्रशा. अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।	30.09.2046	एफ–493, गांधीनगर
13.	479	श्रीमती रीना पिंगोलिया सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ग–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.03.2046	एफ–456, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3 सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4 जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी–चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
    1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
    2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।

8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Signature valid

(योगिता विश्नोई)

सहायक शासन सचिव

Digitally signed by Yogita Bishnoi
Designation : Assistant Secretary
Date: 2024.09.30 12:49:42 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख विशेषाधिकारी (टी.जे.के.), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
5. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
17. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेगें।
18. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Yogita Bishnoi
Designation : Assistant Secretary
Date: 2024.09.30 1[illegible]:49:42 IST
Reason: Approved